



2026:AHC:178131

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8405 सन् 2026

सोमी @ सोनू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : सईद सैफ उल्लाह, सूफिया सबा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 148 सन् 2026, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर में बी.एन.एस. की धारा 118(2) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। घटना के चार दिन पश्चात आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आवेदक को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, सहारनपुर द्वारा दिनांक 30.03.2026 के आदेश द्वारा बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(3) के अंतर्गत जमानत प्रदान की जा चुकी है। विवेचना के दौरान, बी.एन.एस. की धारा 118(2) जोड़ी गई है। घायल मानपाल को लगी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 118(2) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई तथ्यात्मक प्रस्तुतियों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. घायल की चिकित्सीय रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कोई गंभीर क्षति कारित नहीं हुई है। बी.एन.एस. की धारा 118(2) स्वेच्छया गंभीर क्षति कारित करने से संबंधित है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक जमानत पर था और उसके द्वारा प्रदत्त जमानत की शर्तों के दुरुपयोग का कथन नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-**सोमी उर्फ सोनू** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

सचिन

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।